<u>मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग</u>

क्रमांक/समिति/399/116 भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
सतपुडा भवन, म0प्र0 भोपाल

विषयः- व्यापारी विनिर्माता या उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज काष्ठ के पुर्नविक्रय पर हस्तांतरण (प्रतिफल) शुल्क में संशोधन के संबंध में ।

---0---

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 399 वीं बैठक दिनांक 28-08-2012 में (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-04) में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/समिति/8/2000/426 दिनांक 05-08-2000 द्वारा स्वीकृत हस्तान्तरण शुल्क (प्रतिफल) की राशि को अधिक्रमित कर अब सम्पूर्ण विनिर्दिष्ठ प्रजातियों की काष्ठ व उससे निर्मित जलाऊ पर हस्तांतरण शुल्क विक्रय मूल्य का 3 प्रतिशत लिये जाने की राज्य शासन एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बी.बी. सिंह)
पदेन सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/399/ भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रतिलिपिः-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28-08-2012 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कर्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग